

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22072021-228411
SG-DL-E-22072021-228411असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 22, 2021/आषाढ़ 31, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 94
No. 200]	DELHI, THURSDAY, JULY 22, 2021/ASHADHA 31, 1943	[N. C. T. D. No. 94

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIभूमि एवं भवन विभाग
(निष्कांत सम्पत्ति सैल)
आदेश

दिल्ली, 15 जुलाई, 2021

सं.फा. 16/भू. एवं भव./ईपी सैल/2013/1475-1478.—विस्थापित व्यक्तियों का पुनःस्थापन (भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1948 की धारा 7 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 1993 की 2685 दिनांक 19.4.1996 तथा सिविल रिट याचिका संख्या 2018 की 14025 दिनांक 21.1.2020 में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के आदेशों के संदर्भ में उक्त अधिनियम की शर्तों में प्रतिपूर्ति निर्धारण के लिए श्री आर.एस. वर्मा , अपर सचिव , विधायी मामले विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार , शास्त्री भवन, नई दिल्ली को "मध्यस्थ" के रूप में नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उसने नाम पर,
तपन झा, सहायक बन्दोबस्त आयुक्त (ईपी सैल)

LAND & BUILDING DEPARTMENT**(Evacuee Property Cell)****ORDER**

Delhi, the 15th July, 2021

No.F.16/L&B/EP Cell/2013/1475-1478.—In exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the Re-Settlement of Displaced Persons (Land Acquisition) Act, 1948, the Lt. Governor, Delhi is pleased to appoint Shri R.S. Verma, Additional Secretary, Govt. of India, Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi as an “Arbitrator” for determining the compensation in terms of the said Act, with reference to the Hon’ble High Court of Delhi orders in Civil Writ Petition No. 2685 of 1993 dated 19.04.1996 and Civil Writ Petition No. 14025 of 2018 dated 21.01.2020.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

TAPAN JHA, Asstt. Settlement Commissioner (EP Cell)